<u>न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर—235103000142013</u> <u>व्यवहार वाद कं.—7ए / 16</u> <u>संस्थापित दिनांक—07.03.2014</u>

1.	मोहम्मद	सलीम	पुत्र	करीम	वक्स	आयु	35	वर्ष	पेशा	साडी
बुनाः	ई जाति म्	<u> पु</u> सलमान्	ſ							

- 1.ए. शाहिस्ता पत्नी अब्दुल अलीम आयु 35 वर्ष
- 1.बी. फिजा पुत्री अब्दुल अलीम आयु 13 वर्ष
- 1.सी. फरजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 11 वर्ष
- 1.डी. फैजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 10 वर्ष तीनों ना०बा० सरपरस्त माता शाहिस्ता निवासीगण मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।
- 2. अब्दुल अलीम पुत्र करीम वक्स आयु 38 वर्ष पेशा साडी बुनाई जाति मुसलमान
- 3. मोहम्मद वशीम पुत्र करीमवक्स आयु 33 वर्ष पेशा साडी बुनाई जाति मुसलमान

सर्व निवासीगण-मोटामल गली वार्ड क.-17 मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी म०प्र०।

....वादीगण

विरुद्ध

1.शरीफ मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील आयु 41 वर्ष पेशा साडी बुनाई जाति मुसलमान

- 2.जहीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील आयु 38 वर्ष पेशा साडी बुनाई जाति मुसलमान
- 3.लईक मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील आयु 30 वर्ष पेशा साडी बुनाई जाति मुसलमान
- 4.अब्दुल वकील पुत्र मोहम्मदी आयु 70 वर्ष जाति मुसलमान सर्व निवासीगण मोटामल गली वार्ड क.17 बाहर शहर चंदेरी, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।
- 4.अ. आविदा बानो पत्नी फईम मोहम्मद मुसलमान निवासी मछियापुरा चंदेरी।
- 4.ब. खालिदा वानो पत्नी नसीम मोहम्मद मुसलमान निवासी चौखन्डी मोहल्ला बाहर चंदेरी।
- 4.स. शाहजादी पत्नी अब्दुल वकील मुसलमान निवासी मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी।

.....प्रतिवादीगण

5.श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

..... फॉर्मल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 4 मृत। विधिक उत्तराधिकारी पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक ५ पूर्व से एकपक्षीय।

-// निर्णय//-(आज दिनांक 17.02.2017 को घोषित)

- 01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मोटामल गली वार्ड क्रमांक 17 बाहर शहर मकान नंबर 02 (जिसे आगे विवादित भवन से संबोधित किया जाएगा) पर बाथरूम को तुडवाये जाने, कमरे की रोशनी को खुलवाए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भवन में प्रतिवादीगण के कब्जे वाले भाग में छज्जे पर प्रतिवादीगण द्वारा बाथरूम बनवाया गया है। वादीगण के अनुसार वे एक ही खानदान के सदस्य हैं तथा उनका मकान पुश्तैनी है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने अंशों पर काबिज हैं। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण के कब्जे वाले अंश के प्रथम तल के उपर एक छज्जा है जिसके सामने वादीगण का कमरा बना है जिसमें साडी बुनाई का काम होता है, किंतु प्रतिवादीगण द्वारा छज्जे पर बाथरूम बना लिया गया है जिससे आने वाली रोशनी अवरुद्ध हो रही है और वे बुनाई करने में असमर्थ हैं जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और इस कारण वे वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से इस आशय की डिकी चाही है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह आदेश पारित किया जावे कि वे बाथरूम को तोडकर कमरे की रोशनी को खुलवाएं तथा छज्जे पर कोई निर्माण कार्य न करें।
- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में अभिवचित किया है कि वादीगण द्वारा परेशान करने की नीयत से उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण ने उक्त विवादित भवन से संबंधित वाद न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं तथा प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के विरुद्ध भवन खाली कराए जाने के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है और उन्हें भवन खाली न करना पड़े इसलिए उनके द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार विवादित बाथरूम से वादीगण का कोई संबंध नहीं है तथा विवादित भवन का संपूर्ण भाग उनके दादे एवं पिता मोहम्मदी का मकान है और वादीगण का उक्त भवन पर कोई स्वत्व नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।
- 05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वार्ड क. 17 मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी में स्थित मकान नं. 2 में प्रतिवादीगण के कब्जे वाले भाग में स्थित कब्जे पर प्रतिवादीगण द्वारा बनाये गये वाथरूम से वादीगण के भवन की कमरे की रोशनी अवरुद्ध होकर वादी कमांक 1 अपना साडी बुनाई का कार्य करने में असमर्थ हो गया है ?	''नहीं''
02.	क्या वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा बनाये गये उक्त बाथरूम को तुडवाये जाने के अधिकारी हैं ?	''नहीं''
03.	क्या वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?	''नहीं''
04.	क्या प्रस्तुत वाद में नगर पालिका परिषद चंदेरी आवश्यक पक्षकार होने से प्रकरण में असंयोजन का दोष है ?	''नहीं''
05.	सहायता एवं व्यय ?	"निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।"

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 मोहम्मद सलीम, वा.सा. 02 जयिसंह की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 13 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 शरीफ अहमद, प्र.सा. 02 अब्दुल हकीम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- 07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 एवं 05 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

-:: वादप्रश्न कं. 01 लगायत 03 ::-

08. वा.सा. 01 मोहम्मद सलीम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भवन पर वह अपने हिस्से पर काबिज है जिसमें प्रतिवादीगण ने पहली मंजिल के उपर खुले छज्जे पर एक कमरा बना लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह साडी बुनाई करके गुजर—बसर करता था, किंतु बाथरूम बना लेने से उसके कमरे की रोशन रुक गई है जिससे उसके गुजारे का साधन खत्म हो गया है। उक्त तथ्य के बारे में वा.सा. 02 जयसिंह ने भी अपने कथन में बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार 1965 में छज्जे के

संबंध में दावा चल चुका है जो पडोिसयों से चला था। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि उसके हिस्से से तीन फिट हटकर छज्जा लगा है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह माधव नगर खाई में स्थित भवन पर लगे लूम पर वर्तमान में बुनाई का काम कर रहा है जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो रहा है। वा.सा. 02 के अनुसार वह ग्राम कुंअरपुर में निवास करता है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि कौन कितने हिस्से में रह रहा है। प्र. सा. 01 शरीफ अहमद के अनुसार उक्त विवादित भवन पर वादी का स्वत्व नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार जब उन्होंने वादी को मकान खाली करने को कहा तब उनके द्वारा गलत आधारों पर प्रस्तुत वाद पेश किया गया। उक्त साक्षी के अनुसार वादीगण का विवादित भवन से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार प्र.सा. 02 अब्दुल हकीम ने भी अपने कथन में बताया है कि विवादित भवन से वादीगण का संबंध नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार विवादित भवन के दो केस चल रहे हैं और वह मेहमान खाने वाले प्रकरण के संबंध में गवाही देने आया है। प्र.सा. 01 के अनुसार बाथरूम पहले से बना है।

09. प्रकरण में वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वा.सा. 02 मात्र वादी को जानता है इसलिए उसके परिचय के आधार पर उसके पक्ष में कथन कर रहा है। वा.सा. 02 न तो उक्त विवादित भवन में रहता है और न ही उसका पडोसी है। उक्त साक्षी के अनुसार वह वादी के पिता को घी देता था और इसलिए वह उसको जानता है। उक्त साक्षी को यह भी जानकारी नहीं है कि किसका कौन सा हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि वा.सा. 01 ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका हिस्सा छज्जे से तीन फिट हटकर है। इस प्रकार वादी की मौखिक साक्ष्य से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त बाथरूम वादी के हिस्से पर नहीं बना है। वादी द्वारा जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उनमें प्रपी 02 नगरपालिका के नामांतरण से संबंधित है जिसमें बाथरूम से संबंधित विवाद के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। यही स्थिति प्रपी 03 के दस्तावेज से भी प्रकट हो रही है। प्रपी 04 लगायत प्रपी 06 नामांतरण से संबंधित हैं। प्रपी 13 जो कि नक्शा है वह ''टेन्टेटिव'' नक्शा है और इस प्रकार स्पष्ट एवं विस्तृत नक्शा नहीं है।

इस प्रकार वादी की ओर से जो उपरोक्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से एक भी दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वत्व वाले भाग पर बाथरूम का निर्माण कार्य किया गया है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि उसे उक्त छज्जे से रोशनी प्राप्त करने का सुखाचार का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने स्वयं अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह किसी और लूम पर साडी बुनाई का काम करता है, जबकि अपने वादपत्र में वादी ने यह अभिवचन किया है कि वह अपने हिस्से के कमरे में साडी बुनाई का काम करता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य विरोधाभासी है। उल्लेखनीय है कि वादी ने बाथरूम तुडवाये जाने बाबत अनुतोष चाहा है, किंतु वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त बाथरूम से भवन के कमरे की रोशनी अवरुद्ध हो रही है तथा यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त बाथरूम को तुडवाने का अधिकारी है। वादीगण की ओर से वा.सा. 01 के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि उक्त भवन में ही रहता हो और वादीगण के कथनों का अनुसमर्थन करे। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त बाथरूम के कारण साडी बुनाई का कार्य करने में असमर्थ है। वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि वह बाथरूम तुडवाये जाने का अधिकार है और इस प्रकार वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 नकारात्मक निर्णीत किये जाते हैं।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-04</u> ::-

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने मुख्य अनुतोष प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के विरुद्ध चाहा है। वादीगण द्वारा नगरपालिका परिषद चंदेरी को भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 भी नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-05</u> ::-

- 12. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 13. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर